दिनांकः 24.08.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़ पुलिस द्वारा वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 03 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे/निशादेही पर 09 चोरी की मोटरसाइकिल, 04 किलो तांबे का तार व 01 फर्जी नम्बर प्लेट बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 21.08.2024 को वादी श्री सिताब सिह पुत्र स्व जयपाल सिह निवासी ग्राम जैनपुर थाना नकुड़ सहारनपुर की तहरीरी सूचना बाबत 03 अज्ञात चोर द्वारा वादी की मो0सा0 रजि0 न0 UP11 AZ 4895 को चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 282/24 धारा 303(2) बी0एन0एस0 बनाम 3 अज्ञात पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु लूट/वाहन चोरी की घटनाओ की रोकथाम हेतु अपाधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व मे थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा गश्त व चैकिंग के दौरान दिनांक 23.08.24 को तीन शातिर चोर **1. शुभम उर्फ आर्यन पुत्र बबलू उर्फ बबलेश निवासी ग्राम साल्हापुर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर 2. कल्लू उर्फ हिमांशू पुत्र अशोक उर्फ कालू निवासी ग्राम साल्हापुर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर 3. विवेक उर्फ विक्का पुत्र मनोज कुमार निवासी ग्राम साल्हापुर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर** को भोपाल के बन्द पड़े भट्टे से गिरफ्तार किया गया । जिनके कब्जे व निशादेही से 09 वाईक व एक फर्जी नम्बर प्लेट व केबिल का जला हुआ ताबे का तार वजन करीब 04 किलो का बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई तथा बरामदा उक्त मोटर साईकिल बिना नम्बर प्लेट हीरो होण्डा स्ट्रीम चैचिस नम्बर MBLKCU033NHK00087 को ई चालान के माध्यम से चैक किया गया तो मोटर साईकिल का रजिस्ट्रशन नम्बर UP11CL1102 है जो मुकीम पुत्र महमूद निवासी ग्राम न्यायातपुर थाना बेहट जिला सहारनपुर के नाम पंजीकृत है जिसके सम्बन्ध में थाना बेहट पर मु0अ0सं0 183/24 धारा 379 भादवि पंजीकृत है। अतः बरामदगी के आधार पर थाना नकुड़ पर अभियुक्तगणो के विरूद्ध मु0अ0सं0 286/24 धारा 303(2)/317(2)/317(5)/336(2)/111 बीएनएस पंजीकृत किया गया । अभियुक्तगण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ कर विवरणः- अभि0गण ने पूछने पर बताया कि हम लोग आस पास के क्षेत्रो से मोटर साईकिल चोरी कर लेते है तथा उन मोटर साईकिलो को यहा लाकर छुपाकर खडी कर देते है तथा यह जो हमसे दोनो मोटर साईकिले मिली है वह दोनो मोटर साईकिले भी हम तीनो लोगो ने ही मिलकर चोरी की थी तथा इनकी नम्बर प्लेटे उतार कर फैक दी थी तथा एक पर फर्जी नम्बर प्लेट लगा दी थी । तथा हम तीनो लोगो ने UP11AZ4895 नम्बर की मोटर साईकिल 20.08.2024 को शाम के समय जैनपुर गुरुद्वारे के पास से चोरी की थी तथा दूसरी मोटर साईकिल नं0 UP11CL1102 दिनांक 19.06.2024 को रात्रि के समय बेहट क्षेत्र के बरौली चौराहे से चोरी की थी । तथा हम लोगो ने ओर भी मोटर साईकिले चोरी की थी जो भट्टे के ही अन्दर झाड़ियो में छुपा दी थी जिन्हे हमने आपको बरामद करा दिया है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. शुभम उर्फ आर्यन पुत्र बबलू उर्फ बबलेश निवासी ग्राम साल्हापुर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. कल्लू उर्फ हिमांशू पुत्र अशोक उर्फ कालू निवासी ग्राम साल्हापुर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. विवेक उर्फ विक्का पुत्र मनोज कुमार निवासी ग्राम साल्हापुर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

अभियुक्त शुभम उर्फ आर्यन उपरोक्त का अपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 35/20 धारा 307 भादवि चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 36/20 धारा 102, 41 सीआरपीसी व 414/420 भादवि चालानी चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 201/23 धारा 3(1)(घ), 3(1)(द) एससीएसटी एक्ट चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 225/23 धारा 392/411 भादवि चालानी चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

अभियुक्त विवेक उर्फ विक्का उपरोक्त का अपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 53/23 धारा 380, 411, 457 भादवि चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 331/20 धारा 380, 411, 457 भादवि चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 332/20 धारा102, 41 सीआरपीसी व 414/420 भादवि चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 503/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

1. ताबे का तार वजन करीब 04 किलो
2. एक फर्जी नम्बर प्लेट UP11CN8707
3. एक मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नम्बर UP11AZ4895 जिसका चैचिस नम्बर MBLHA12ACFHK35916 व इंजन नम्बर HA12EMFHK36174 है।
4. एक मोटर साईकिल बिना नम्बर प्लेट हीरो होण्डा स्ट्रीम रंग नीला जिसका चैचिस नम्बर MBLKCU033NHK00087 इंजन नम्बर KC01ABNHK0192222 है। जिसका रजिस्ट्रशन नम्बर UP11CL1102
5. मो0सा स्प्लेण्डर प्लस रंग काला चैचिस नम्बर 05B16C31343 व इंजन नम्बर 05B15M30312 ।
6. मोटर साईकिल एचएफ डिलेक्स रंग काला जिसका रजिस्ट्रशन नम्बर UP11BJ6979 , चैचिस नम्बर MNLHARO59J9C11231 व इंजन नम्बर HA11EPJ9C10668
7. मो0सा0 UP11V3140 स्प्लेण्डर प्लस रंग काला जिसका चैचिस नम्बर 07K03F20228 व इंजन नम्बर 07K15E42990 है
8. मोटर साईकिल स्प्लेण्डर प्लस रंग काला जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर UP11M4130 व चैचिस नम्बर 04K16F07036 व इंजन नम्बर 04K15E06516 है
9. मोटर साईकिल हीरो स्प्लेण्डर बिना नम्बर प्लेट की रंग काला जिसका चैचिस नम्बर MBLHA10EF99E12873 व इंजन नम्बर HA10BA99E27716 है
10. मोटर साईकिल हीरो स्प्लेण्डर रंग काला बिना नम्बर प्लेट की जिसका चैचिस नम्बर MBLHAW112M4M03745 व इंजन नम्बर HA11EVM4M03747 है
11. मोटर साईकिल स्प्लेण्डर रंग काला बिना नम्बर प्लेट की जिसका चैचिस नम्बर MBLMAW116LHJ16511 व इंजन नम्बर HA11EVLHJB4018 है

अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम थाना नकुड जनपद सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री नरेन्द्र भडाना थाना नकुड जनपद सहारनपुर ।
3. उ0नि0 श्री अजीत सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर ।
4. उ0नि0 श्री उदयवीर सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर ।
5. है0का0 1021 मतीन अहमद थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर ।
6. है0का0 866 सचिन ढाका थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर ।
7. का 2122 लोकेश कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर ।

दिनांक: 24.08.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़ पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 10 ग्राम स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु अवैध शराब व नशीले पदार्थो की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त **आशू पुत्र सत्तार कुरैशी निवासी मौ0 नई बस्ती कस्बा व थाना नकुड जनपद सहारनपुर** को ग्राम ढोल्लामाजरा के पास से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 10 ग्राम स्मैक बरामद हुई। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 285/24 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। अभि0 के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछने पर बताया गया कि मै ज्यादा पढ़ा लिखा नही हूँ तथा नशे का आदी हूँ अन्य प्रान्तों से सस्ते दामों पर स्मैक लेकर आता हूँ और यहाँ लाकर अच्छे पैसों में आने जाने वाले लोगों को बेच देता हूँ। जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

आशू पुत्र सत्तार कुरैशी निवासी मौ0 नई बस्ती कस्बा व थाना नकुड जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त काअपराधिक इतिहासः -

1. मु0अ0सं0 253/19 धारा 3/8 सीएस एक्ट व 3/11 पशु क्रुरता अधि0 चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 306/23 धारा 63 आब0 अधि0 चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 468/21 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 10 ग्राम स्मैक

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री वेदपाल सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
3. का0 2308 प्रवीण कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 24.08.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा 02 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गई 04 साइकिल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 23.08.2024 को वादी जयप्रकाश मिश्रा पुत्र समयदीन निवासी ग्राम पाठकपुरवा थाना कन्नैंलगाज जिला गोन्डा उ0प्र0 हाल निवासी आदर्श गैस गोदाम न्यू अर्जुन नगर थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर ने थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की एटलस कम्पनी की साइकिल एसबीडी अस्पताल सहारनपुर से चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 223/24 धारा 303(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिए, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना जनकपुरी के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए प्रकाश मे आये अभियुक्तगण 1. आनन्द पुत्र बद्री निवासी ग्राम खुड्डा थाना छपार जनपद मुजफ्फरनगर 2. रिहान पुत्र इस्लाम निवासी म0न0 12/1820 पुरानी मण्डी चौक आर्य जमुना दास वाली गली थाना मण्डी जिला सहारनपुर को अम्बेडकर चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तगण के कब्जे से 550/- रू नगद व चोरी की गयी 04 साइकिल बरामद की गयी। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317/(2)/317(5) बी0एन0एस0 की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-:

1. आनन्द पुत्र बद्री निवासी ग्राम खुड्डा थाना छपार जनपद मुजफ्फरनगर।
2. रिहान पुत्र इस्लाम निवासी म0न0 12/1820 पुरानी मण्डी चौक आर्य जमुना दास वाली गली थाना मण्डी जिला सहारनपुर।

अभियुक्त आनन्द का आपराधिक इतिहासः-

- मु0अ0स0 904/18, धारा 22/8बी एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना सिविल लाइन्स मु0नगर

बरामदगी का विवरणः-

- 550/-रू नगद
- 04 साइकिल (कम्पनी ARMY ATLAS, HERCULES, ATLAS व AVON ACTION)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम-:

1. उ0नि0 श्री आशीष कुमार, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
2. का0 2343 संदीप कुमार, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
3. हो0गा0 1989 नरेन्द्र कुमार, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक: 24.08.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर ,उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा फर्जी एग्रीमेंट कर तालाब की भूमि बेचने वाला 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 12.08.2024 को वादी देवेन्द्र कुमार चकबन्दी लेखपाल पुत्र सुनील कुमार निवासी ग्राम जंगेठी जनपद मेरठ द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत विपक्षीगण द्वारा तालाब की भूमि को फर्जी एग्रीमेंट करके प्लॉटो के रूप में बेचने के सम्बन्ध थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0 439/2024 धारा 420/467/468/471/447 भादवि 3/4 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधि0 बनाम आमिल खाँ पुत्र आदिल खाँ नि0 मौ0 पठानपुरा भायला रोड कस्बा देवबन्द आदि के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 24.08.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त आमिल खाँ पुत्र आदिल खाँ नि0 मौ0 पठानपुरा भायला रोड कस्बा देवबन्द जिला सहारनपुर को भायला रोड असगरीया मदरसा तिराहे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही कर संमय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः–

आमिल खाँ पुत्र आदिल खाँ नि0 मौ0 पठानपुरा भायला रोड कस्बा देवबन्द जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास–

1. मु0अ0स0 41/2020 धारा 420/467/468/471/506 भादवि थाना देवबन्द सहारनपुर
2. मु0अ0स0 115/2023 धारा 506 भादवि थाना देवबन्द सहारनपुर
3. मु0अ0स0 123/2018 धारा 147/148/149/307/323/395/420/467/468/471 भादवि थाना देवबन्द सहारनपुर
4. मु0अ0स0 204/2021 धारा 147/323/504/506 भादवि थाना देवबन्द सहारनपुर
5. मु0अ0स0 439/2024 धारा 420/447/467/468/471 भादवि थाना देवबन्द सहारनपुर व 3 /4 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधि0
6. मु0अ0स0 731/2018 धारा 147/427/504/506 भादवि थाना देवबन्द सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि के0पी0सिंह थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर ।
2. है0का0 931 प्रवेन्द्र कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर ।

दिनांकः 24.08.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं आपराधिक घटनाओं की रोकथाम हेतु वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री अमित नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 24.08.2024 को थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा 01 वारंटी सुशील पुत्र जगदीश निवासी ग्राम कुआखेडा नानौता जनपद सहारनपुर माननीय एसीजे (जेडी)जेएम दवेबन्द सहारनपुर को ग्राम कुँआखेडा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को विधिक कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पताः-

सुशील पुत्र जगदीश निवासी ग्राम कुआखेडा नानौता जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 रामचरण सिह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 समीर सिह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. का0 2228 हरिभान थाना नानौता जनपद सहारनपुर
4. का0 2171 नीरेश थाना नानौता जनपद सहारनपुर

दिनांक: **24.08.2024**

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता पुलिस द्वारा हत्या करने के प्रयास मे वाँछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 15.05.2024 को वादी आकाश पुत्र राजेन्द्र नि0 ग्राम सोना अर्जुनपुर थाना नानौता सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत 1.मेजर पुत्र मांगेराम 2. अरूण 3. राहुल पुत्रगण मेजर 4.रविन्द्र पुत्र वेदपाल निवासीगण ग्राम सोना अर्जुनपुर थाना नानौता सहारनपुर द्वारा वादी व उसके परिवारजनों के साथ जान से मारने की नियत से मारपीट करने के सम्बन्ध में थाना नानौता पर मु0अ0स0 114/24 धारा 307/323/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री अमित नागर के कुशल नेतृत्व में थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा मु0अ0स0 114/24 धारा 307/323/504/506 भादवि मे वाँछित अभियुक्त **राहुल पुत्र मेजर निवासी ग्राम सोना अर्जुनपुर थाना नानौता जनपद सहारनपुर** को ग्राम राधौरा गंगोह रोड से गिरफ्तार किया गया। थाना नानौता पर पंजीकृत अभियोग मे विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त द्वारा पूछताछ मे बताया कि उनका वादी पक्ष के साथ जमीन को लेकर विवाद चला आ रहा है दिनाँक 15.05.24 को आकाश के परिवारजन उक्त भूमि पर नीव की खुदाई कर रहे थे जिसमे हमारा उनसे जिसमे झगडा व मारपीट हो गयी थी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

राहुल पुत्र मेजर निवासी ग्राम सोनाअर्जुनपुर थाना नानौता जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 रामचरण सिह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 समीर सिह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. है0का0 820 अनुज थाना नानौता जनपद सहारनपुर

दिनांक: 24.08.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 10 ग्राम स्मैक बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थ एवं अवैध नशे के कारोबार मे संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक बेहट श्री सत्येन्द्र प्रकाश सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 24.08.2024 को चैकिंग के दौरान अभियुक्त शाहनवाज पुत्र वाजिद निवासी ग्राम रीढी मोहिद्दीनपुर थाना बेहट जिला सहारनपुर को सहारनपुर बेहट रोड पर स्थित बी0डी0 पब्लिक स्कूल के सामने बाग से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 10 ग्राम स्मैक नाजायज बरामद हुई बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना बेहट पर मु0अ0सं0-256/2024 धारा-8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ करने पर बताया कि यह स्मैक मै सस्ते दाम मे बाहर से खरीदकर लाता हूँ। तथा आस पास के इलाको मे बेचकर अच्छा मुनाफा कमाता हूँ। आज भी मै स्मैक बेचने के इरादे से जा रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शाहनवाज पुत्र वाजिद निवासी ग्राम रीढी मोहिद्दीनपुर थाना बेहट जिला सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0 108/21 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट ----- थाना बेहट
2. मु0अ0सं0 580/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट ---- थाना बेहट

बरामदगी का विवरण-

- 10 ग्राम स्मैक नाजायज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम-:

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सत्येन्द्र प्रकाश सिंह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री रोविल्स कुमार थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
3. है0का0 586 राजीव पंवार थाना कोतवाली बेहट जिला सहारनपुर
4. का0 1594 मोहित धामा थाना कोतवाली बेहट जिला सहारनपुर

दिनांकः 24.08.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा नाबालिग से छेड़छाड़ के 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक 12.08.2024 को वादी द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बावत अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री का पीछा करना व गलत नियत से शरीर से छेड़छाड़ कर लैंगिग उत्पीड़न करने के सम्बन्ध मे थाना रामपुर मनिहारन पर मु0अ0सं0-292/24 धारा 74/75 बीएनएस व 7/8 पोक्सो अधि0 पंजीकृत कराया गया तथा मुकदमा उपरोक्त की विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त मे धारा 74/75 /137(2)/65(2) बीएनएस व 9एम/10 व 5 एम/6 पोक्सो अधि0 तरमीन की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिए गये, आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सन्तोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 24.08.24 को थाना रामपुर मनिहारन पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त मे वांछित अभि0 शाहबाज अली पुत्र मौ0 सलीम नि0 ग्राम चुन्हैटी गाडा थाना रामपुर मनि0 सहारनपुर को चुन्हैटी अण्डर पास के नीचे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

शाहबाज अली पुत्र मौ0 सलीम नि0 ग्राम चुन्हैटी गाडा थाना रामपुर मनि0 स0पुर उम्र करीब 22 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सन्तोष कुमार त्यागी थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपर
2. उ0नि0 श्री विजय सिंह थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपर
3. का0 2380 हरवेन्द्र कुमार थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर

दिनांकः 24.08.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस द्वारा फायरिंग की घटना के 02 मुकदमो के वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से फांयरिग मे प्रयुक्त 01 तमन्चा व व 01 जिन्दा/ 01 खोखा कारतूस 315 बोर गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 23.08.2024 को वादी श्री आर्यन पुत्र धर्मेन्द्र कुमार निवासी ग्राम अगवानहेड़ा थाना सरसावा जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत वादी के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने के सम्बन्ध मे थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 238/24 धारा 109 बीएनएस व वादी श्री नन्द किशोर पुत्र ज्ञानचन्द निवासी मौ0 पूर्वी अफगनान कस्बा व थाना सरसावा जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत वादी के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने के सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 239/24 धारा 109 बीएनएस पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल फायरिंग की घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 24.08.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा फायंरिग के उपरोक्त दोनो मुकदमो मे फायरिंग करने वाले अभियुक्त सूरज पुत्र यशपाल निवासी ग्राम झबीरण थाना सरसावा जिला सहारनपुर को ग्राम अगवानहेडा से ग्राम गदरहेडी जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से फांयरिग की दोनो घटनाओ मे प्रयुक्त 01 नाजायज तमन्चा 315 बोर व 01 खोखा / 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद। अभियुक्त की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि दिनांक 23.08.24 को दोपहर के समय मै सरसावा मौहल्ला अफगनान मे गया था वहां पर मेडिकल स्टोर के सामने सड़क पर मेरी, आर्यन से मेरी साली वैष्णवी का पीछा करने की बात को लेकर बहस हुई थी। इसलिए मैने आर्यन को जान से मारने की नियत से फायर किया था। तथा दूसरी घटना के बारे में पूछने पर बताया कि बाजार में मेरी मोटरसाइकिल एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल से टकरा गयी थी वहा भीड़ इकट्ठा हो गयी थी अपने आप को भीड़ से घिरता देख मै वहा फायरिंग करके भाग गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सूरज पुत्र यशपाल निवासी ग्राम झबीरण थाना सरसावा जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः–

- 01 तमन्चा 315 बोर
- 01 खोका कारतूस 315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री राजीव कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. का0 1259 विनित तोमर थाना सरसावा स0पुर

दिनांकः 24.08.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस द्वारा 01 नशा तस्कर अभियुक्त को 45 पव्वे देशी शराब हरियाणा मार्का सहित किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे अपराध की रोकथाम व अवैध शराब की तस्करी की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे गिरफ्तारी हेतु अभियान के अनुपालन मे पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्वेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के निकट परिवेक्षण मे आज दिनांक 24.08.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त अमजद पुत्र वाजिद निवासी ग्राम चौराखुर्द थाना चिलकाना जिला सहारनपुर को मदरसे से रायपुर रोड की तरफ से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे से 45 पव्वे देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0स0 240/2024 धारा 63 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया । अभियुक्त को समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मै नशे का आदी हूँ। मै हरियाणा से सस्ते दामों में शराब ले आता हूँ और अपने आस पास के लोगों को जरूरत में महंगे दामों में बेच देता हूँ। जिससे मुझे अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है तथा मेरा नशे का खर्च निकल जाता है

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अमजद पुत्र वाजिद निवासी ग्राम चौराखुर्द थाना चिलकाना जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

45 पव्वे देशी शराब क्लब मालटा हरियाणा मार्का

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ0नि0 श्री ललित कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. का0 2256 प्रेम कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. का0 1967 अनुज चौधरी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

दिनांकः 24.08.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस द्वारा 01 चोर को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गया सामान 03 माड्यूल व 01 ओरियन बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 24.08.2024 को वादी श्री विक्रम सिह पुत्र नेमचन्द निवासी कार्यरत सिक्योरिटी सुपर वाइजर कम्पनी रयल कमाण्ड प्रौटेक्शन ग्रुप परिवहन पुरम रूडकी-मेरठ की लिखित तहरीर बाबत रोकी द्वारा तीन माड्यूल व एक ओरियन चोरी करने के सम्बन्ध में थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 - 241/24 धारा 303(2) बीएनएस बनाम रोकी के पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल चोरी की घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्र0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 24.08.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए 01 शातिर चोर अभियुक्त राकी पुत्र राकेश निवासी नरेश विहार कालोनी थाना सरसावा जिला सहारनपुर को नरेश विहार से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की तीन माड्यूल व एक रियन बरामद। गिरफ्तारी व माल बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बी.एन.एस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

राकी पुत्र राकेश निवासी नरेश विहार कालोनी थाना सरसावा जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः–

03 माड्यूल व 01 ओरियन (चार्जर सैट)

अभियुक्त आपराधिक इतिहास–

1. मु0अ0सं0 16/2021 धारा 63 आ0अधि0 थाना सरसावा सहारनपुर
2. मु0अ0स0 17/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सरसावा स0पुर
3. मु0अ0स0 76/17 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सरसावा स0पुर
4. मु0अ0स0 109/17 धारा 379/511 भादवि थाना सरसावा स0पुर
5. मु0अ0स0 270/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सरसावा स0पुर
6. मु0अ0स0 364/21 धारा 379/411 भादवि थाना सरसावा स0पुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री ललित कुमार थाना सरसावा स0पुर
2. हे0का0 71 प्रदीप कुमार थाना सरसावा स0पुर

दिनांक: 24.08.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा 03 वारण्टी अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व मे थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा 03 वारण्टी अभियुक्तगण अभियुक्तगण 1. लियाकत पुत्र स्व0 युनुस निवासी ग्राम दुधगढ थाना चिलकाना सहारनपुर सम्बन्धित वाद सख्या-4671/23 धारा-3/5/8 सीएसएक्ट, 2. इरफान उर्फ फाना पुत्र जमील निवासी ग्राम दुधगढ थाना चिलकाना सहारनपुर सम्बन्धित वाद सख्या--4646/2023 धारा 3/5/8 सीएसएक्ट व 3. फिरोज पुत्र शहीद नि0 मौ0 मजहर हसन कस्बा व थाना चिलकाना सहारनपुर सम्बन्धित वाद सं0 577/21 व मु0अ0सं0 573/20 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तगण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-:

1. फिरोज पुत्र शहीद नि0 मौ0 मजहर हसन कस्बा व थाना चिलकाना स0पुर
2. अभियुक्त लियाकत पुत्र स्व0 युनुस निवासी ग्राम दुधगढ थाना चिलकाना सहारनपुर
3. इरफान उर्फ फाना पुत्र जमील निवासी ग्राम दुधगढ थाना चिलकाना सहारनपुर

अभियुक्त फिरोज उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 86/20 धारा 380/411 भादवि चालानी थाना चिलकाना सहारनपुर
2. वाद सं0 577/21 व मु0अ0सं0 573/20 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट (चालानी थाना चिलकाना सहारनपुर

अभियुक्त लियाकत उपरोक्त आपराधिक इतिहास-

1. वाद सख्या--4671/23 धारा-3/5/8 सीएसएक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर

अभियुक्त इरफान उर्फ फाना उपरोक्त आपराधिक इतिहास-

1. वाद सख्या--4646/2023 धारा 3/5/8 सीएसएक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:

1. उ0नि0 श्री करन नागर थाना चिलकाना सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर
3. है0का0 934 संजीव कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर
4. है0का0 479 अमित कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर
5. का0 2360 कर्मवीर थाना चिलकाना सहारनपुर

दिनांक: 24.08.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा उ0प्र0 पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा-2023 में मूल अभ्यर्थी के स्थान पर फर्जी प्रपत्रो के आधार पर परीक्षा देता 01 अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में उ०प्र० पुलिस आरक्षी परीक्षा को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 24.08.2024 को निरीक्षक श्री प्रवीण कुमार यादव, अपराध शाखा की ड्यूटी परीक्षा केन्द्र गुरु नानक गर्ल्स इण्टर कॉलेज गाँधी पार्क सहारनपुर मे प्रथम पाली केन्द्र प्रभारी के रूप में लगी थी तभी स्कूल की प्रधानाचार्या द्वारा स्टेटिक मजिस्ट्रेट, निरी0 श्री प्रवीण कुमार यादव व कन्ट्रोल रूम प्रभारी उ0नि0 श्री राम बाबू सिंह को सूचना दी गयी कि मूल अभ्यर्थी (रोल न0 5055848) के स्थान पर एक अन्य युवक परीक्षा दे रहा है। उक्त संदिग्ध परीक्षार्थी ने पूछने पर अपना नाम आकाश पुत्र श्री अमरपाल निवासी ग्राम उदयपुर थाना जहांगीरपुर जनपद बुलन्दशहर बताया जो कि मूल अभ्यर्थी विष्णु कुमार पुत्र श्री प्रेमवीर सिंह निवासी ग्राम गुन्ना जाटान थाना जहांगीरपुर जनपद बुलन्दशहर के स्थान पर परीक्षा देने आया था । जिसके बाद अभियुक्त आकाश उपरोक्त के कब्जे से फर्जी आधार कार्ड, प्रवेश पत्र आदि बरामद किये गये । जिसके सम्बन्ध में थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 242/2024 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस व 3/10 सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम के अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मेरा असली नाम आकाश पुत्र श्री अमरपाल निवासी ग्राम उदयपुर थाना जहांगीरपुर जनपद बुलन्दशहर है। मै जहांगीरपुर में श्रेष्ठ कोचिंग सेन्टर में पढाता हूँ जहां विष्णु कुमार उपरोक्त पढने आता था । मैने 01 वर्ष पूर्व विष्णु 50 हजार रूपये उधार लिए थे जिसके ऐवज में विष्णु ने मुझसे कहा कि तुम होशियार हो और मेरी पुलिस कान्स्टेबल की परीक्षा है मेरी जगह तुम परीक्षा दे दो तो मै तैयार हो गया और परीक्षा देने के ऐवज में मैने, विष्णु से 06 लाख रूपये मांगे थे जिसके लिए विष्णु तैयार हो गया। तथा विष्णु के आधार कार्ड व प्रवेश पत्र पर अपना फोटो लगाकर विष्णु का फर्जी आधार कार्ड व प्रवेश पत्र तैयार कर लिया । जिनके आधार पर मै आज दिनांक 24.08.2024 को विष्णु के स्थान पर परीक्षा देने आ गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

आकाश पुत्र श्री अमरपाल निवासी ग्राम उदयपुर थाना जहांगीरपुर जनपद बुलन्दशहर

बरामदगी का विवरण:-

01 आधार कार्ड, 01 फर्जी प्रवेश पत्र, 01 ओएमआर शीट अर्द्धभरी, 01 प्रश्न पुस्तिका

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. स्टेटिक मजिस्ट्रेट श्री योगेश शर्मा खण्ड शिक्षा अधिकारी नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. निरीक्षक श्री प्रवीण कुमार यादव अपराध शाखा जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री राम बाबू सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

दिनांकः **24.08.2024**

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा उ0प्र0 पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा में फर्जी प्रपत्रो के आधार पर परीक्षा देता 01 अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में उ0प्र0 पुलिस आरक्षी परीक्षा को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर श्री अभिमन्यू मागंलिक के निकट पर्यवेक्षण मे आज दिनांक 24.08.2024 को क्षेत्राधिकारी कार्यालय सहारनपुर की ड्यूटी प्रथम पाली में परीक्षा केन्द्र कोड 68016 जे.वी. जैन कालेज सहारनपुर पर थी दौराने परीक्षा एक अभ्यार्थी जिसका नाम पवन भारद्वाज पुत्र राजेश शर्मा नि0 भूतगढी फिरोजपुर थाना खुर्जानगर जनपद बुलन्दशहर जन्मतिथि 14.01.2002, अनुक्रमांक नं0- 5090226 परीक्षा देने आया था। जाँच के दौरान उसका असली नाम पवन कुमार शर्मा पुत्र राजेश शर्मा नि0 भूतगढी फिरोजपुर थाना खुर्जानगर जनपद बुलन्दशहर जन्म तिथि 14.04.1995 पाया गया। अभ्यर्थी के कब्जे से फर्जी आधार कार्ड, प्रवेश पत्र आदि बरामद किये गये है तथा अभियुक्त को समय 15.05 बजे गिरफ्तार किया गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0- 476/24 धारा318(4)/338/ /336(4)/340(2) बीएनएस व 3/10 सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्त नें पूछताछ पर बताया कि मेरा असली नाम पवन कुमार शर्मा पुत्र राजेश शर्मा निवासी भूतगढी फिरोजपुर थाना खुर्जानगर जनपद बुलन्दशहर उ0प्र0 है। मेरी जन्मतिथि 14.04.1995 है। मेरी नौकरी की उम्र निकल जाने के कारण सरकारी नौकरी पाने के लिये मैने पुन: वर्ष 2019 मे हाईस्कूल, इण्टर वर्ष 2021 मे प्राईवेट पास किया है। मैने अपना आधार कार्ड असली नाम पवन कुमार शर्मा की जगह पवन भारद्वाज पुत्र राजेश शर्मा व जन्मतिथि 14.04.1995 की स्थान पर 14.01.2002 बदलकर दुबारा बनवाया। मै आज दोबारा बदले हुये नाम व जन्मतिथि के अनुसार हाईस्कूल व इण्टर मीडियेट की उत्तीर्ण परीक्षा के आधार पर आज आरक्षी भर्ती का पेपर देने आया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः -

पवन कुमार शर्मा पुत्र राजेश शर्मा नि0 भूतगढी फिरोजपुर थाना खुर्जानगर जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी का विवरणः-

01 आधार कार्ड , 01 डीएल, 01 प्रवेश पत्र, प्रपत्र - 8 एक अदद, प्रपत्र 16 - एक अदद , प्रश्न पुस्तिका मूल - 12 वर्क, छाया प्रति OMR शीट - 1 वर्क

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. श्री मुनीशचन्द्र क्षेत्राधिकारी कार्यालय जनपद, सहारनपुर।
2. श्री जगदीश प्रसाद सेक्टर मजिस्ट्रे प्रथम सहारनपुर
3. श्री नीरज सैनी सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वितीय सहारनपुर
4. श्री हरिओम गुप्ता प्राचार्य जे.वी. जैन कालेज सहारनपुर